30/3/21 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया है कि वादी के पिता का सही नाम मातादीन सिंह पुत्र जोधसिंह है। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से वादी के पिता का नाम रामचन्द्र सिंह पुत्र जोधसिंह दर्ज कर दिया गया है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किया जाना उचित है। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में अपने पिता का मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, माता का मृत्यु प्रमाण पत्र, स्वंय का मतदाता पहचान पत्र, ग्राम पंचायत डाबला द्वारा जारी प्रमाण पत्र, राजस्व ग्राम डाबला तह. नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 310, 340 की जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 की प्रतियां प्रस्तुत की हैं जिनमें वादी के पिता का नाम मातादीन सिंह पुत्र जोधसिंह है, एवं बतौर साक्ष्य स्वंय के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र से वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की ताकीद होती हैं।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं स्वंय वादी के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम रामचन्द्र सिंह पुत्र जोधसिंह अंकित है। वादी का कथन कि वादी के पिता का सही नाम मातादीन सिंह पुत्र जोधसिंह है की पुष्टि वादी के पिता के मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, माता का मृत्यु प्रमाण पत्र, वादी के मतदाता पहचान पत्र, ग्राम पंचायत डाबला द्वारा जारी प्रमाण पत्र, राजस्व ग्राम डाबला तह. नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 310, 340 की जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 की प्रतियों से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं बतौर साक्ष्य स्वंय के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र के आधार पर वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.04.01 16:45:38 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना
नीमकाथाना (सीकर) राज.

Scanned with CamScanner

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम बिहार पटवार हल्का बिहार तह. नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 162 व पटवार हल्का डाबला के भूमि खाता संख्या 54 व 449 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम **रामचन्द्रसिंह पुत्र जोधसिंह** के स्थान पर **मातादीनसिंह पुत्र जोधसिंह** दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना

नीमकाथाना (सीकर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.04.01 16:45:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner